



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AE 140496



स्नातक

..... निर्वाचन- क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लखनऊ (उ०प्र०)

(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशित पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला भापथ पत्र

भाग-क

मैं महाश्वर कुमार शर्मा *पुत्र/पुत्री/पत्नी उमाश्वर प्रकाश शर्मा

आयु 51 वर्ष, जो गाँव कटहरवा, पोस्ट रामपुर गोकुल जिला लखीमपुर खीरी

(डॉक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ/करती हूँ, भापथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

SWORN VERIFIED
 FOR THE
 Notary Public
 LUCKNOW
 Date 9/11/2020
 INDIA

M. K. Sharma

(1) मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम लखन (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 18 के क्रम संख्या 595 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9984239409 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और vmanoj.995@gmail.com मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

(i)

(ii) insta gram .manoj.verma 2940

(iii) Twitter @manoj.ve52404255

Manoj Verma



SWORN VERIFIED
BEFORE ME
Kartikey Kumar Singh
(Advocate)
Date 9/11/2020

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



.....निर्वाचन- क्षेत्र सं (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के सम्मुख अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशान पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला भापथ पत्र

भाग-क .

मैं, मनोज कुमार वर्मा **पुत्र/पुत्री/पत्नी जी.सोम प्रकाश वर्मा
आयु 41 वर्ष, जो जग०-बहेरवा पो०-रामपुर गोकुल बिला-खीटी
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिश्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, भापथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 140 श्रीनगर (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 131 के क्रम संख्या 345 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9984239409 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और v.manoj.995@gmail.com (मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

(i) Facebook/9984239409

(ii) Instagram - manojverma2940

(iii) Twitter @manoj.ve52404255

(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्ज कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	AEHPV2421F	2019-2020 2010-2019 2017-2010 2016-2017 2015-2016	(i) 607403
				(ii) 503798
				(iii) 370764
				(iv) 296667
				(v) 202563
2.	पति/पत्नी ✓	BXOPS4444J	शून्य	(i) शून्य
				(ii) शून्य
				(iii) शून्य
				(iv) शून्य
				(v) शून्य
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) शून्य
				(ii) शून्य
				(iii) शून्य
				(iv) शून्य
				(v) शून्य
4.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	(i) शून्य
				(ii) शून्य
				(iii) शून्य
				(iv) शून्य
				(v) शून्य
5.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	(i) शून्य
				(ii) शून्य
				(iii) शून्य
				(iv) शून्य
				(v) शून्य
6.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	(i) शून्य
				(ii) शून्य
				(iii) शून्य
				(iv) शून्य
				(v) शून्य

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोशणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:

लागू नहीं होता है

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ.) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है

(6) दोशसिद्धि के मामले,—

- (i) मैं यह घोशणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोशसिद्धि नहीं किया गया है।

(यदि अभ्यर्थी के दोशसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोशसिद्धि किया गया है: लागू नहीं होता है।

(यदि अभ्यर्थी के दोशसिद्धि किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोशसिद्धि किया गया है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ङ.)	दोशसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(छ)	क्या दोशसिद्धि के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है

- (6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोशसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।

3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
 4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक भीट जोड़ी जा सकती हैं।
 5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनायें देने का उत्तरदायी होगा।
- (7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 -- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 -- जमा/विनिधान की दिना में क्रम संख्या रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और भाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 -- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों, शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दिना में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 -- "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 -- प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दे जाने हैं।

टिप्पण 6 -- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेगी बैंकों और किसी अन्य विदेगी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियाँ या विनिधानों के ब्यौरे और विदेगी में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं:

क.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	25000	25000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	3,10,000	1,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लगभग होंगे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 2000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	वाक नगरी महिंद्रा एंड महिंद्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयताओं का सकल योग	₹ 2000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी भोध्य : सरकारी आवास से संबंधित विभागों को भोध्य	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है?</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोशणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता: लागू नहीं होता है</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददे कोई भोध्य संदेय नहीं है:- (क) भाटक ; (ख) विद्युत प्रभार ; (ग) जल प्रभार ; और (घ) लागू नहीं होता है (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पचास की कोई तारीख होनी चाहिए]</p> <p>टिप्पण-उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत</p>					हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का नि गान लगाएं)

		प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					लागू नहीं है।
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को भाोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी है)	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(iv)	आयकर भाोध्य						
		स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू विभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v)	जीएसटी भाोध्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति पर भाोध्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(vii)	कोई अन्य भाोध्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(viii)	सभी सरकारी भाोध्य का कुल योग	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और अधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"-	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।

(8) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं हैकेपारी

(ख) पति या पत्नी गृहणी

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे :

(क) स्वयं नहीं

(ख) पति या पत्नी नहीं

(ग) आश्रित के आय के स्रोत, यदि कोई हों नहीं

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएँ-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे लागू नहीं होगा है

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे लागू नहीं होगा है

(ग) आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... २५-५

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... २५-५

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है..... २५-५

(च) प्राइवेट कंपनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा हैं..... २५-५

(10) नेरी भौक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष २००४ पत्रासनतक (एम०ए०), कानपुर विश्वविद्यालय।
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/वि विद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/वि विद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. मनोज कुमार वर्मा		
2.	जाक का पूरा पता	ग्राम-बहेरवा पो-०-कानपुर-गोकुल, जिला-कौशांबी		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	140 बीनगर-उत्तरप्रदेश		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	निर्दलीय		
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	२५-५		
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	२५-५		
7.		स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल इति आय
	(क) अभ्यर्थी	AEHPV2421F	२०१९-२०२०	६०७४०३
	(ख) पति या पत्नी	BXOPS4444J	२५-५	२५-५
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	२५-५	२५-५	२५-५
	(घ) आश्रित	२५-५	२५-५	२५-५

8. आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में ब्यौरे							
विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
क. जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	10,20,000	3,75,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ख. स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
□ स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
□□ क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
□□ निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य— □ (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) □ (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
9. देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
i. सरकारी देय राशि (कुल)	1.41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ii. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	20,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
10. ऐसे देयताएं जो विवादाधीन हैं	1.41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
i. सरकारी देय राशि (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ii. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	20,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
11. उच्चतम भौक्षणिक अर्हता: (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/वि विद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/वि विद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	पराएनातक (एम०ए०) कानपुर विश्वविद्यालय 2004						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोशणा करता हूँ कि इस भाष्यपत्र की विशय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और वि वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोशणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोशसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोशसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

आज तारीख 12/11/2020 को सत्यापित किया गया।